-:: भाग 8 ::-

जिलाधीश की स्थिति तथा शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण ।

<u>जिलाधीश की स्थिति तथा शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण :</u>

जिलाधीश तथा राज्य सरकार के बीच की कड़ी आयुक्त होता है, इसके साथ साथ साथ वह राज्य सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है । यह व्यवस्था दुर्गम तथा भ्रमपूर्ण है । प्रशासनिक तालमेल इस व्यवस्था में ठीक नहीं रहता है । दूसरे एक प्रशासक के ऊपर दो प्रभुत्व रहने से स्थिति भ्रमपूर्ण हो जाती है । आयुक्त का पद एक निष्क्रिय पद है जिसका कम से कम जिले की जनता से कोई सीधा प्रयोजन नहीं है । आयुक्त द्वारा जिलाधीश पर एक कृतिम तालमेल रखने के लिये प्रयोग किया जाता है। आयुक्त जिलों का दौरा बहुत कम करता है । खण्डीय आधार पर यदि आयुक्त का पद रखा भी जाय तो वह विशुध्द तकनीकी तथा प्रभावशाली रूप से रखा जाना चाहिये । इससे जिलाधीश को प्रशासनिक सुविधा हो जावेगी । अब भी यह आवश्यक नहीं है कि जिलाधीश आयुक्त द्वारा ही राज्य सरकार से सम्पर्क करे, वह सीधे राज्य सरकार से पत्रव्यवहार कर सकता है [1]। यही स्थिति राज्य सरकार की भी है । इसीलिये यदि आयुक्त का पद प्रभावशाली बना दिया जाय तो जिलाधीश की सुविधा के साथ साथ तालमेल में आसानी हो जावेगी । 1970 में प्रदेश में कुल 32 आयुक्त थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 63 [2] हो गयी है ।

जिलाधीश राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का जिले में प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक विभाग के जिले में जिलाधिकारी भी होते हैं । इससे उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है तथा कार्य सम्पादन में दोहरापन आ जाता है । यह एक प्रशासनिक त्रुटि है । वैसे जिलाधीश पर अन्य कार्य इतने होते हैं कि वह समस्त विभागों की देखभाल भी नहीं कर सकता है । यदि आपूर्ति विभाग को ही ले लिया जाय तो सीमेन्ट, घी तथा अन्य वस्तुओं के आबंटन के आदेश जिलाधीश भी दे सकता है व जिलापूर्ति अधिकारी यहाँ तक कि तहसीलदार भी । इस प्रकार कार्य सम्पादन का दोहरापन तथा तिहरापन

1- जिलाधीशों से साक्षात्कार के आधार पर ।

2- 113 वरिष्ट अधिकारी ऐसे हैं जिनका वेतन आयुक्त के समकक्ष है ।

एक बहुत बड़ी प्रशासनिक त्रुटि है । इससे जिलाधीश से मुलाकातियों की सख्या बढ़ती है, तथा जिलाधीश यदि सीमेन्ट, तेल बांटने लगेगा, जबकि इसके लिये अलग विभाग है, तो अन्य आवश्यक काम नहीं हो पावेंगे । इससे भ्रम भी हो जाता है तथा कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिलाधीश ने भी आदेश दे दिये तथा पूर्ति अधिकारी ने भी आवंटन के इतने आदेश तथा अधिपत्र दे दिये, जितना सामान उपलब्ध भी नहीं था ।

जिले में अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन का एक पद होता है । नियोजन का कार्य जिलाधीश भी करता है । यह दोनों ही अधिकारी तकनीकी नहीं होते हैं तथा कार्य विशेष में मतभेद हो सकने की सम्भावना हो सकती है और यदि ऐसा न भी हो तो एक अलग विभाग तथा पद के होते हुए जिलाधीश पर यह कार्य भार नहीं होना चाहिये । इससे प्रक्रिया में सुविधा हो जावेगी तथा देरी नहीं हो पावेगी और विकास कार्य सुचारु रूप से चल सकेंगे और उत्तरदायित्व केवल एक व्यक्ति पर आ जावेगा ।

कानून तथा व्यवस्था अभिकरण का जिलाधीश अध्यक्ष होता है । इसके अन्य घटक हैं आरक्षीबल तथा क्षेत्र दंडाधिकारी । यह एक अति महत्वपूर्ण अभिकरण है । इस पर भी आरक्षी बल तथा जिलाधीश के बीच सम्बन्धों की स्थिति बहुत भ्रमपूर्ण है । आरक्षी अधीक्षक विभागीय मामलों में क्षेत्र के उप महा आरक्षी निरीक्षक जिसका मुख्यालय मेरठ में होता है, के आधीन है परन्तु कानून तथा व्यवस्था के मामलों में वह जिलाधीश के आदेश के अन्तर्गत है । कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जो कानून तथा व्यवस्था के साथ साथ विभागीय महत्व भी रखते हों; इस स्थिति में भ्रम उत्पन्न होता है । यदि दोनों में सहयोग है तो ठीक है वरना मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं । ऐसे ही एक मामले में मतभेद हो भी चुका है । दादरी थाने में थानाध्यक्ष द्वारा एक अभियुक्त को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गयी । जन असंतोष इतना बढ़ा कि थाने को आग लगाने जन समूह चल पड़ा जिलाधीश तथा आरक्षी अधीक्षक (1972 श्री टी०एन० मिश्रा) घटना स्थल पर गये तथा जनता को उक्त थानाध्यक्ष को दंड देने का आश्वासन देकर शान्त किया । थानाध्यक्ष को पकड़कर बुलन्दशहर लाया गया, जिलाधीश उसे पदमुक्त करने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने जनता से यही वायदा किया था परन्तु आरक्षी अधीक्षक ने उसे केवल निलम्बित किया । इस पर जनता ने उक्त थानाध्यक्ष को कचहरी पर मार डालने का असफल प्रयास किया ।

अपने क्षेत्रीय कार्य के बीच जन साक्षात्कारों में यह पूछने पर कि '' क्या

1- क्षेत्रीय कार्य के आधार पर

आपका यह विश्वास है कि यदि जिला पुलिस पर जिलाधीश का सीधा नियंत्रण रहे तो पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो सकता है ?'[1] इसकी 63 प्रतिशत प्रतिक्रिया सकारात्मक प्राप्त हुई है । इससे स्पष्ट है कि आरक्षी अधीक्षक की तुलना में जिलाधीश को अधिक जन विश्वास प्राप्त है । जिलाधीश के पूर्ण नियंत्रण से आरक्षीबल की मन मानी रूक जावेगी । आरक्षीबल के अधिकारी जिलाधीश या अन्य क्षेत्राधिकारियों की अधिक परवाह नहीं करते हैं तथा कानून तोड़ने में कोई हिचक नहीं करते हैं । दिनांक 19-6-74 को पहासु थाने में अभियुक्त को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गयी । कई हजार लोगों ने प्रदर्शन किया तब जाकर आरक्षी अधीक्षक ने थानाध्यक्ष सत्यदेव यादव व उपथानाध्यक्ष सक्सेना एक हैडकान्सटेबल तथा 4 कान्सटेबल निलम्बित किये । इस जिले में इस प्रकार की घटनायें आम बात हो गयी हैं । अत: यह व्यवस्था बहुत आवश्यक है । इससे जिलाधीश को कानून तथा व्यवस्था के विषय में अधिक शक्ति मिलेगी । इससे आरक्षी अधिकारियों की विभागीय हिमायत भी बंद हो जावेगी । आरक्षी अधिकारियों के विरूद्ध अधिकतर जन शिकायतें आरक्षी अधिक्षक के पास जाती है तथा विभागीय हिमायत के कारण शायद ही किसी पर कोई कार्यवाही हो पाती हो । अधिकतर या तो खो जाती हैं या कारगर कार्यवाही नहीं हो पाती ।[2] इस समय प्रक्रिया यह है कि यदि जिलाधीश के पास भी कोई शिकायत पहुंचती है, तो चूंकि यह 'विभागीय' मामला होता है, अत: वह आरक्षी अधीक्षक के पास भेज दी जाती हैं ।

जिले में यदि किसी मंत्री या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का भ्रमण होता है तो जिलाधीश प्रबन्ध कार्य तो करता ही है, इसके साथ साथ भ्रमण में उसके साथ भी रहता है । इससे उस पर कार्यभार बढ़ता है तथा समय नष्ट होता है । मंत्री इस बात की अपेक्षा करता है कि जिलाधीश भ्रमण में उसके साथ रहे ।[3]

जिले के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों का पालन करना जिलाधीश का कार्य है ।

1- परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 13

2- जनसाक्षात्कारों के आधार पर ।

3- जिलाधीशों से साक्षात्कार के आधार पर

सरकार विशेष लक्ष्य पूरे करने के लिये जिलाधीशों को आदेश देती है जैसे नसबंदी, राष्ट्रीय बचत योजना में धन जमा कराना, गेहूं की वसूली । इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जिलाधीश प्रायः भय की स्थिति उत्पन्न करता है जबकि सदभावना से भी यह लक्ष्य पूरे किये जा सकते हैं । दिसम्बर सन् 71 में नसबन्दी का अधिकतम लक्ष्य प्राप्त किया गया । इसके लिये जिलाधीश श्री दास ने अथक प्रयास किये परन्तु आरक्षीबल तथा अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों को इसी कार्य में एक माह के लिये लगा दिया जिन्होंने लोगों को डराया, धमकाया और यहां तक कि आरक्षी अधिकारियों ने उन अपराधियों को भी यह लालच दिया कि नसबंदी करा ली तो छोड़ दिये जावेंगे । कई लोगों को इसी चक्कर में झूठे मामलों में फंसाकर नसबन्दी करा दी । जून सन् 74 में नये जिलाधीश श्री देवेन्द्र सिंह बग्गा ने भी गेहूं की वसूली में भय की स्थिति कायम की है । लक्ष्य पूरा न होते देख बाद में सदभावना की नीति बरती तथा काफी सफलता प्राप्त की । उत्तर प्रदेश में जिला बुलन्दशहर में गेहूं वसूली का सर्वाधिक लक्ष्य रखा गया है ।

सावधि जमा योजना तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों की योजना में भी जिला प्रशासन त्रुटिपूर्ण तथा तंग करने की नीति बरतता है, यदि सदभावना से काम लिया जाय तो अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते हैं ।

परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्न सं0 39 के इस प्रश्न कि, '' क्या जिला प्रशासन या जिलाधीश में आपका विश्वास है ?' की 58 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है । प्रश्न सं0 4 के प्रश्न, '' क्या आप जिलाधीश को जनता की समस्याओं को निवारण करने वाला एक सरकारी अधिकारी समझते हैं?'' की 61 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है । प्रश्न सं0 3 के प्रश्न, '' क्या आप जिलाधीश को विभिन्न शक्तियों प्राप्त एक तानाशाह समझते हैं? कि 76 प्रतिशत प्रतिक्रिया सकारात्मक प्राप्त हुई हुई है । अतः सर्वप्रथम जिलाधीश को जन विश्वास प्राप्त करना चाहिये ।

जिलाधीश के पास इतने अधिकार तथा शक्तियां है कि वह जिले में मनमानी कर सकता है परन्तु लोक तथा राजनैतिक अक्षोम के कारण वह ऐसा अधिक दिन तक नहीं कर सकता है ।

प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गयी है कि कार्य सुचारु रूप से नहीं

चल पाते तथा देरी इतनी हो जाती है कि कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है । कुछ जिलाधीश प्रक्रिया की जटिलता को कम कर देते हैं जैसे जिलाधीश श्री शमशाद अहमद कुछ प्रार्थना पत्रों को अपने विवेक से प्रार्थी के सामने ही आदेश देकर निपटा देते थे । अन्य जिलाधीशों ने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया । प्रक्रिया की जटिलता के कारण कागजी कार्यवाही बढ़ जाती है । परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 23 के प्रश्न, ' क्या जिलाधीश कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया को बढावा देते हैं ? '' कि 83 प्रतिशत प्रतिक्रिया सकारात्मक प्राप्त हुई है । इससे प्रशासन में जटिलता आती है तथा कार्यो का ह्रास होता है ।

क्या जिलाधीश पर आवश्यकता से बहुत अधिक कार्य भार है ? जिलाधीशों से यह प्रश्न पूछने पर उन्होंने अधिक कार्यभार नहीं बताया परन्तु इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कार्यो में जैसे वी० आई०पी० लोगों के साथ भ्रमण। राजनैतिक आगमनों बेकार सभाओं इत्यादि में बहुत समय नष्ट हो जाता है । वैसे जिलाधीश जिले में कई विभागों के कार्य देखता है परन्तु यदि बारीकी से देखा जाय तो समस्त कार्य विभागों के विभागाध्यक्ष ही करते हैं परन्तु तब जिलाधीश का कार्य बढ़ जाता है जब किसी विभाग का विभागाध्यक्ष योग्य नहीं होता या असहयोग करता है । सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के जिलाधीश से सहयोग के विषय को लेकर जिलाधीश, सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों एवं जन साक्षात्कारों में प्रश्न पूछे गये । जिलाधीशों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी । परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्न सं० 14 के प्रश्न, '' क्या आपका यह विश्वास है कि जिला प्रशासन के कर्मचारी तथा अधिकारी जिलाधीश को पूर्ण सहयोग देते हैं ?'' कि 41 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है, 32 प्रतिशत ने अपना अनिश्चित मत दिया । अत: असहयोग की स्थिति अवश्य ही रहती है । इसके अतिरिक्त जटिल कार्यपद्धति भी कार्यभार बढ़ा देती है और जनता भी परेशान रहती है । प्रश्न संख्या-1 के प्रश्न'' क्या आप जिलाधीश की कार्यपद्धति से संतुष्ट है?'' की 79 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है । जटिल प्रक्रिया के कारण अधिक कार्यभार की स्थिति जिलाधीश स्वयं उत्पन्न करता है ।

यद्यपि जिलाधीश को अधिकतर मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहती है परन्तु फिर भी निर्णय अधिकतर प्रशासनिक आधार पर लिये जाते हैं । इससे एक प्रशासक व्यक्ति न रहकर एक मशीन की भांति कार्य करने लगता है । इससे प्रशासनिक

एक रूपता तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इससे जन कार्यों का हास्य भी हो जाता है । मानवीय समस्या की मशीनी समाधान की आवश्यकता नहीं होती । समस्त जिलाधीशों जिनसे साक्षात्कार लिये गये कीप्रतिक्रिया से जो तथ्य सामने आयें हैं उनसे विदित होता है कि जिलाधीश निर्णय मानवीय आधार पर नहीं प्रशासनिक आधार पर लेते हैं, स्वयं विवेक के आधार पर बहुत कम ।

राजनीति या सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होता है ?

क्या जिलाधीश जनता,/ राजनीति, या सरकार के प्रति प्रतिबध्दता तो दृष्टीगोचर होती है परन्तु जनता के प्रति नहीं । राजनीति के प्रति प्रतिबध्दता से प्रायः जिलाधीशों ने इंकार किया है परन्तु यह वास्तविकता नहीं है । सरकार के प्रति प्रतिबध्दता किस बात की है ? सरकारी कानूनों तथा नीतियों का पालन? इससे तो सभी प्रतिबध्द हैं । या कि व्यक्तिगत या दलगत महत्वाकांक्षाओं का पोषण परन्तु इनसे न तो राजनीति मुक्त है और न ये राजनीति से मुक्त हैं । अतः परोक्ष रूप से यह प्रतिबध्दता राजनीति से ही सम्बन्धित है । यदि प्रतिबध्दता जनता के प्रति होती तो स्थिति दूसरी ही होती । यह तभी सम्भव है जब जिलाधीश तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी अपने को लोक सेवक समझते न कि मालिक । जिलाधीश और यहां तक कि जिला प्रशासन के कर्मचारी तक अपने लिये 'हुजूर', 'माईबाप', 'सरकार', गरीब परवर, शब्द कहलवाना पसंद करते हैं ।[1]

परिशिष्ट-1की प्रश्नावली के भाग-2 में जिलाधीशों से उनके व्यक्तित्व सम्बंधी दस प्रश्न भी पूछे गये । जिनकी प्रतिक्रिया व्दारा उनकी विचारशीलता, अच्छा निर्णय, आत्मनियंत्रण, जिज्ञासा, व्यवहार कुशलता, सहयोग, तत्कालिक निर्णय या पराश्रय, खुला मस्तिष्क व कार्य क्षमता की जांच । इन प्रश्नों के विषय में सभी जिलाधीशों की लगभग समान प्रतिक्रिया प्राप्त हुइ है । यदि इस प्रतिक्रिया को पूर्णतः सही मान लिया जाय तो सभी जिलाधीशों में अधिकांश उपरोक्त गुण विद्यमान हैं परन्तु वास्तविकता यह नहीं है । विशेष अनुमति के अंर्तगत जिलाधीश श्री जे0 सी0 पंत तथा श्री ए0 के0 दास के सभा भवनों में आकस्मिक रूप से दो दो बार एक एक घन्टे सभा भवन में बैठकर व्यवहार देखा गया तो, अच्छा निर्णय, आत्मनियंत्रण, सहयोग, तत्कालिक निर्णय, तथा जिज्ञासा के विषय में विरोधाभास पाया गया ।

---

[1]क्षेत्रिय कार्य के आधार पर ।

जनता के साथ व्यवहार में वह बात नहीं पायी गयी, जो एक लोकतांत्रिक देश के प्रशासक में होनी चाहिये ।

कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने लिये इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिये किसी को मना नहीं करता । यह केवल बड़प्पन, श्रेष्ठता तथा जनता से अपने को ऊंचा समझने की प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति लोक सेवा की भावना अपना ही नहीं सकती है । परिशिष्ट-1 की प्रश्नावली के इस प्रश्न, 'क्या आप अपने को अन्य सामाजिक वर्गों या वृत्तियों से ऊंचा महसूस करते है ?' का सभी जिलाधीशों ने नकारात्मक उत्तर दिया है परन्तु जन साक्षात्कारों से दूसरी स्थिति सामने आती है । 86 प्रतिशत व्यक्तियों ने जिलाधीश का व्यवहार नम्र तथा उदार नहीं बताया तथा 77 प्रतिशत ने 'जन आकांक्षाओं की उपेक्षा' करने की प्रतिक्रिया की है । क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा अनुबद्ध होनी चाहिये ? इस प्रश्न की सभी जिलाधीशों ने प्रतिक्रिया नकारात्मक दी है । इस स्थिति में जन सेवा भावना कैसे रह सकती है वह भी तब जब प्रतिबद्धता परोक्ष रूप से राजनीति के प्रति हो । इस स्थिति में तो जिलाधीश जनता की अपेक्षा राजनीति को खुश करने में लग जाता है तथा जनकल्याण के कार्य गौण हो जाते हैं । क्योंकि जिलाधीश को पदोन्नति की महत्वकांक्षा तो रहती ही है ।

परिशिष्ट-1 की प्रश्नावली के इस प्रश्न, 'क्या आपका यह विचार है कि नागरिक का यह स्वभाव होता है कि वह हर हालत में अपना कार्य कराना चाहता है' की सभी जिलाधीशों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है यही प्रश्न परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली में भी पूछा गया तथा इसकी भी 84 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है । अत: स्पष्ट है कि नागरिकों के स्वभाव के प्रति न तो प्रशासकों और न जन प्रतिक्रिया में कोई शिकायत की गयी है ।

परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 की दोनों प्रश्नावलियों के इस प्रश्न, "क्या आप न्याय पालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण के पक्षपाती हैं ?" को जिलाधीशों ने नकारात्मक तथा जनसाक्षात्कारों में 78 प्रतिशत ने सकारात्मक उत्तर दिये हैं । जन साक्षात्कारों मे यह भी इंगित है कि इससे जिलाधीश की कार्यकुशलता बढ़ जावेगी । इससे जिलाधीश पर कार्य भार कम हो जावेगा तथा अन्य प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलेंगे । परन्तु जिलाधीश इस पक्ष में नहीं हैं । जिलों के आकार के विषय में भी जिलाधीशों तथा जनसाक्षात्कारों

में प्रश्न पूछे गये । जिलाधीश जिलों का आकार छोटा करने के पक्ष में नहीं हैं परन्तु 89 प्रतिशत जन प्रतिक्रिया यह है कि जिलों का आकार यदि छोटा हो तो जिलाधीश अधिक सुविधा पूर्वक कार्य कर सकते हैं । उपरोक्त दो बातें प्रकट करती हैं कि जिलाधीश अपने कार्यों तथा भौगोलिक क्षेत्र को घटाना नहीं चाहता । यह शासक की प्रवृत्ति है लोक सेवक की नहीं ।

अपने अधिक कार्यभार के ही कारण जिलाधीश ग्रामों का दौरा कम करते हैं, तथा ग्रामीण समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं । जन साक्षात्कारों में 76 प्रतिशत प्रतिक्रिया ऐसी ही प्राप्त हुई है । साक्षात्कारित सभी जिलाधीशों ने यह स्वीकार किया है कि जिला प्रशासन में नीति सम्बन्धी कुछ मूल बाधायें हैं जिनका निराकरण आवश्यक है ।[1] जन साक्षात्कारों में भी 71 प्रतिशत प्रतिक्रिया यही है । त्रुटिपूर्ण नीति के कारण ही प्रकरणों तथा कार्यों को निबटाने में अनावश्यक विलम्ब लग जाता है । जिलाधीश तथा क्षेत्राधिकारी नये प्रशासनिक प्रयोगों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तथा पूर्ववर्ती परम्पराओं पर ही प्रशासन चलाते हैं । जिलाधीश कार्यों की सुगमता के लिये प्रतिभूतियों, सरकारी योजनाओं की पूर्ति, तथा राजनीतिक तुष्टता हेतु नियम विरुद्ध कार्य भी कर जाते हैं ।[2] परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 की 67 प्रतिशत प्रतिक्रिया यही है कि जिलाधीश यदा कदा नियम विरुद्ध कार्य भी कर जाते हैं । प्रश्न संख्या 15 के इस प्रश्न, 'क्या आपका यह अविश्वास है कि जिलाधीश अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं ।' की केवल 18 प्रतिशत प्रतिक्रिया ही सकारात्मक प्राप्त हुई है । यह प्रश्न केवल सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के महत्व का था जन महत्व का नहीं था, अतः इस पर कोई उत्साहजनक जन प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है । हस्तक्षेप तभी होता है जब जिलाधीश अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों पर अधिक ध्यान दें । प्रश्न संख्या 24 की 58 प्रतिशत प्रतिक्रिया यह है कि जिलाधीश प्रशासन के कर्मचारियों के कार्यों पर

---

[1] परिशिष्ट-1 की प्रश्नावली प्रश्न सं० 10
परिशिष्ट-2 की प्रश्नावली प्रश्न सं० 17

[2] सन् 1971 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में बुलन्दशहर में पकड़े गये अभियुक्तों की प्रतिभूतियों का मामला तथा परिवार नियोजन तथा गल्ले की वसूली का कार्य ।

ध्यान नहीं देते हैं । जिला प्रशासन के अधिकारी सरकारी वाहनों को निजी यात्राओं के तथा घरेलू कार्यों में प्रयोग में लाते हैं तथा इस प्रकार दुरूपयोग होता है ।[1] क्या जिलाधीश को अन्य वृत्तियों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है । इस प्रश्न की 62 प्रतिशत प्रतिक्रिया नकारात्मक प्राप्त हुई है । परन्तु इस प्रतिक्रिया में वास्तविकता कम ही है क्यों कि जिलाधीश को एक दिन में लगभग साढ़े चौदह घन्टे काम करना पड़ता है । अपने सर्वेक्षण में पांच जिलाधीशों के एक दिन में कार्य के घन्टों के आंकड़े इस प्रकार प्राप्त हुए हैं :-

1-	जिला मेरठ (जिलाधीश श्री राजेन्द्र नाथ)	16-25 घन्टे
2-	जिला बुलन्दशहर (जिलाधीश श्री ए० के० दास)	14-30 "
3-	जिला मेरठ (जिलाधीश श्री जगदीश चन्द्र पंत)	14-15 "
4-	जिला मुरादाबाद (जिलाधीश श्री रमेश चन्द्र टकरू)	16-25 "
5-	जिला अलीगढ़ (जिलाधीश श्री सोमनाथ पंडित)	14-55 "

जिलाधीश का सबसे अधिक समय सभा या लोगों से मुलाकात में व्यय होता है । उपरोक्त तालिका के क्रम से लोगों से मुलाकात तथा सभा में प्रतिदिन व्यय होने वाला समय इस प्रकार है :-

1-	मेरठ	4-25 घन्टे
2-	बुलन्दशहर	5-00 "
3-	मेरठ	4-30 "
4-	मुरादाबाद	3-55 "
5-	अलीगढ़	4-30 "

---

[1] प्रश्न सं० 27 की 55 प्रतिशत प्रतिक्रिया ।

अन्य कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्य	मेरठ	बुलन्दशहर	मेरठ	मुरादाबाद	अलीगढ़
1-	पत्रोत्तर	2.50	2.3	2.45	2.10	2.45
2-	अभियोग की सुनवाई	1.00	.45	.50	1.15	.50
3-	निरीक्षण	2.40	1.55	2.30	2.10	1.40
4-	गावों का निरीक्षण	2.40	1.15	1.50	2.15	1.00
5-	अन्य स्थानों का निरीक्षण तथा नियंत्रण	1.00	.30	.45	1.10	1.00
6-	सफर	1.20	1.10	1.15	1.30	1.00
7-	विशेष मेहमान	1.00	.40	.50	1.00	.50
8-	रोज के मेहमान	.50	.45	.40	.50	.50

जिलाधीश क्षेत्राधिकारियों को छोड़कर[1] जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को उनके गलत तथा विधि विरोधी आचरणों पर निलम्बित कर सकता है । यदि कोई विशेष मामला न हो तो क्षेत्राधिकारियों के विषय में आयुक्त की संस्तुति लेना आवश्यक है । जिलाधीश की यह शक्तियाँ जिला प्रशासन के अनुशासन के लिये अति आवश्यक हैं । जिलाधीश इन शक्तियों का प्राय: दुरुपयोग नहीं करता है उल्टे नरमी का रवैया रखता है । क्योंकि कई रिश्वत तथा कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के मामले उसके सम्मुख आते हैं परन्तु वह केवल ताड़ना देकर छोड़ देता है ।[2] वह किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का राज्य सरकार से संस्तुति प्राप्त कर स्थानान्तरण करा सकता है । इसके साथ साथ यदि क्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसी का स्थानान्तरण किया है तो वह यदि चाहे तो राज्य सरकार को लिखकर वह स्थानान्तरण रुकवा भी सकता है ।[3] वह राज्य सरकार को संस्तुति भेजकर ईमानदार तथा

[1] विशेष परिस्थितियों में क्षेत्राधिकारियों को भी ।

[2] क्षेत्रीय कार्य के आधार पर ।

[3] श्री दास द्वारा अपने पेशकार जगदीश शर्मा का 1973 में स्थानान्तरण रुकवाया गया था ।

कर्मठ कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिलवाता है । इसके साथ साथ यदि बेईमान और कामचोर कर्मचारियों को दंड देने की नीति भी बरती जाय तो कार्य कुशलता में पर्याप्त सुधार हो सकता है । यही समस्त कारण हैं कि इतनी विशाल शक्तियों तथा अधिकारों के होते हुए भी जिलाधीश प्रशासन में तीव्रता नहीं ला पाता जो जन असंतोष का कारण बनता है । क्या उत्तर प्रदेश में समस्त जिलाधीशों की यही प्रास्थिति है ? इसके लिये जिन पांच जिलाधीशों के प्रतिरूप चुने गये उनसे परिशिष्ट-1 की प्रश्नावली में 25 नीति-मूलक प्रश्न पूछे गये जिनको गणनामान (जो अंतिम परिशिष्टों में दर्शाये गये हैं) दिये जाने के पश्चात सांख्यिकीय निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :

क्र.स	जिलाधीश	प्रश्नों की संख्या	औसतमान	प्रामाणिक विचलन
1-	श्री राजेन्द्र नाथ	25	0.48	0.80
2-	श्री ए० के०दास	25	0.16	0.97
3-	श्री जगदीश चन्द्र पंत	25	0.12	0.95
4-	श्री रमेश चन्द्र टकरू	25	0.48	0.80
5-	श्री सोमनाथ पंडित	25	0.24	0.91

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिलाधीश की एक दूसरे से तुलना करके सांख्यिकीय सूत्रों द्वारा अंतरमान तथा आलोचनात्मक मान निकाले । तुलना प्रथम की बाकी चार से द्वितीय की बाकी तीन से तृतीय की बाकी दो से तथा चतुर्थ की पंचम से की, जिनके परिणाम निम्न प्रकार से प्राप्त हुए :

क्र.स	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री राजेन्द्र नाथ	25	.48	.80	1.45	. 36
2-	श्री ए०के० दास	25	.12	.95		

श्री राजेन्द्र नाथ बनाम श्री जगदीश चन्द्र पंत

क्र.स	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री राजेन्द्र नाथ	25	•48	•80	1•45	•36
2-	श्री ऐ०के० दास	25	•12	•95		

श्री राजेन्द्र नाथ बनाम श्री रमेश चन्द्र टकरू

क्र.स	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री राजेन्द्र नाथ	25	•48	•80	0•00	0
2-	श्री रमेश चन्द्र टकरू	25	•48	•80		

श्री राजेन्द्र नाथ बनाम श्री सोमनाथ पंडित

क्र.स	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री राजेन्द्र नाथ	25	•48	•80	1•00	•24
2-	श्री सोमनाथ पंडित	25	•24	•91		

श्री ऐ० के० दास बनाम श्री जगदीश चन्द्र पंत

क्र.सं	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री ऐ०के०दास	25	•16	•97	0•14	•04
2-	श्री जगदीशचन्द्र पंत	25	•12	•85		

श्री ए0 के0 दास बनाम श्री रमेश चन्द्र टकरू

क्र.स.	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री ए0के0दास	25	•16	•97	1•28	•32
2-	श्री रमेशचन्द्र टकरू	25	•48	•80		

श्री ए0 के0 दास बनाम श्री सोमनाथ पंडित

क्र.स.	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री ए0के0दास	25	•16	•97	0•3	•08
2-	श्री सोमनाथ पंडित	25	•24	•91		

श्री जगदीश चन्द्र पंत बनाम श्री रमेश चन्द्र टकरू

क्र.स.	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री जगदीशचन्द्र पंत	25	•12	•95	1•45	•36
2-	श्री रमेशचन्द्र टकरू	25	•48	•80		

श्री जगदीश चन्द्र पंत बनाम श्री सोम नाथ पंडित

क्र.स.	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री जगदीशचन्द्रपंत	25	•12	•95	•75	•12
2-	श्री सोमनाथ पंडित	25	•24	•91		

श्री रमेश चन्द्र टकरू बनाम श्री सोमनाथ पंडित

क्रम	जिलाधीश	संख्या	औसतमान	सामान्य अतिक्रम	आलोचनात्मक अनुपात	अंतरमान
1-	श्री रमेशचन्द्र टकरू	25	·48	·80	1·00	·24
2-	श्री सोमनाथ पंडित	25	·24	·91		

उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पांचों जिलाधीशों के बीच अंतरमान क्रमश: ·32, ·36, 0, ·24, ·04, ·32, ·08, ·36, ·12 तथा ·24 है जो अति न्यून हैं । आलोचनात्मक अनुपात की गणना, न्यादर्श के मध्यमानों के अंतर को उसकी प्रामाणिक त्रुटि से भाग देकर की है । उपरोक्त तालिकाओं में आलोचनात्मक अनुपात क्रमश: 1·28, 1·45, 0·00, 1·00, 0·14, 1·28, 0·3, 1·45, ·45 तथा 1·00 आये हैं । परिकल्पना यह थी कि जिलाधीशों के बीच सार्थकता का स्तर न्यून होगा । जब अलोचनात्मक अनुपात 1·96 या इससे अधिक होता है तब हम अमान्य परिकल्पना को ·05 सार्थकता के स्तर तक अस्वीकार कर सकते हैं । इसका आधार यह है कि उसी प्रयोग में 20 में से एक संयोग पुनरावृत्ति का हो सकता है अथवा यह अंतर उतना बड़ा या और बड़ा हो सकता है यदि वास्तविक अंतर शून्य हुआ होता । यदि आलोचनात्मक अनुपात 1·96 से कम पड़ता है (·05 स्तर तक नहीं पहुंचती) एवं तथनुसार अमान्य परिकल्पना को ग्रहण कर लिया जाता है । उपरोक्त समस्त गणनाओं में आलोचनात्मक अनुपात 1·96 से कम हैं अत: परिकल्पना सिद्ध हो जाती है ।

अत: इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिलाधीशों की प्रशासनिक नीतिमूलक प्रास्थिति एक सी है ।